


88



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म० प्र०

प्र० क०-- /2013-14 निगरानी R 276-II/14

श्री. महोदय-किशोर, कौशिक
द्वारा आज दि. 21-7-14 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर
21-7-14

जयराम सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति लोधी
निवासी ग्राम - गोरा सहराई तहसील
चन्देरी जिला अशोकनगर म० प्र०

- निगरानीकर्ता

बनाम

भागीरथ उर्फ भग्गी पुत्र हल्कू जाति गडरिया
निवासी ग्राम - गोरा सहराई तहसील
चन्देरी जिला अशोकनगर म० प्र०

- प्रतिनिगरानीकर्ता

श्री. महोदय-किशोर सिंह, कौशिक
द्वारा आज दि. 21-7-14 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर
21-7-14

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 17/6/2014 पारित द्वारा
तहसीलदार महोदय चन्देरी जिला अशोकनगर म० प्र० आधीन
प्रकरण क० 34-अ-12/13-14, अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू०
राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी में
निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य

3


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2176-दो/2014

जिला-अशोकनगर

जयराम विरुद्ध भागीरथ उर्फ भग्गी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकार का हस्ताक्षर
17-06-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. यह निगरानी तहसीलदार चन्देरी, जिला-अशोकनगर के प्र. क्र. 34/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 17-06-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी, जिला-अशोकनगर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06-08-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	 (आर.के. जैस) सदस्य